समक्ष जे.एम टंडन, जे.

इंदु आनंद- याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्र शासित राज्य चंडीगढ़- उत्तरदाता

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 710/1984

28 सितम्बर 1984

दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का द्वितीय) - धारा 306, 397 और 482 - भारतीय दंड संहिता (1860 का एक्सएलवी) - धारा 201 और 302 - धारा 201 और 302 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति ने सरकारी गवाह बनने पर माफी मांगी - बचाव पक्ष की दलील है कि नहीं उपरोक्त धाराओं के तहत आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अपराध बनाया गया - ऐसे आरोपियों को क्षमादान - क्या वैध है।

माना गया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 306 के तहत दी जाने वाली क्षमा की वैधता अकेले अनुमोदनकर्ता के खिलाफ कथित अपराध के संदर्भ में निर्धारित की जानी है, न कि उस अपराध या अपराध के संदर्भ में जिसमें अनुमोदनकर्ता के सहयोगी शामिल हैं और अंततः दोषी ठहराए जाते हैं। जहां अनुमोदक के विरुद्ध यह आरोप है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 201 के तहत अपराध किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306(2) के संदर्भ में अनुमोदक को दिया गया क्षमादान वैध माना जाएगा क्योंकि ऐसे अनुमोदक पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 के साथ पठित धारा 201 के तहत अपराध करने का आरोप है। (पैरा 6)

श्री केके चोपड़ा, एचसीएस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ की अदालत के 28 अप्रैल 1984 के आवेदन को खारिज करने के आदेश में संशोधन के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के साथ पठित धारा 401 के तहत पुनरीक्षण के लिए याचिका।

कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता आर.सी सेतिया के सा ,और अतुल जैन, याचिकाकर्ता के लिए वकील

एस. सी. अंगिरीश और एस. के. सक्सेना, विशेष लोक अभियोजक, सीबीआई, प्रतिवादी के लिए

निर्णय

जे.एम टंडन, जे.

1. श्री जे.एस आनंद, डी.आई.जी. पुलिस (अब दिवंगत), उनकी पत्नी श्रीमती इंदु आनंद, याचिकाकर्ता अपने बेटे सुमनजीत और सैंडी (संदीप सिंह-मृतक के भतीजे) के साथ 12 जुलाई 1983 को मकान नंबर 541, सेक्टर 10, चंडीगढ़ में एक ड्रिंक पार्टी में शामिल हुए और वापस लौट आए। उनका घर नंबर 17, सेक्टर 3, चंडीगढ़, रात करीब 11 बजे। मृतक की बेटी युविका पार्टी में शामिल नहीं हुई और घर पर ही रही। ड्रिंक पार्टी से लौटने पर, याचिकाकर्ता रसोई में चली गई जबकि मृतक, उसका बेटा और सैंडी ऊपर अपने कमरे में चले गए। मृतक के घर पर काम करने वाला दर्शन लाई उस समय रसोई में व्यस्त था। याचिकाकर्ता के निर्देशानुसार, दर्शन लाई ने खाने की मेज पर खाने का सामान रखा। याचिकाकर्ता मृतक और बच्चों को रात के खाने के लिए बुलाने के लिए ऊपर गया। याचिकाकर्ता और मृतक ऊपर सीढ़ियों पर झगड़ने लगे और अंग्रेजी में एक-दूसरे पर चिल्लाने लगे। याचिकाकर्ता बहुत गुस्से में थी। वह नीचे आई और रात करीब 11.15 बजे कार में घर से निकल गई। इसके कुछ मिनट बाद सुमनजीत ने दर्शन लाई से संपर्क किया और उनसे कहा कि अगर मृतक ने यह कहकर स्टोर की चाबी मांगी है कि वह याचिकाकर्ता के पास है तो उसे उसे दुकान की चाबी नहीं देनी चाहिए। याचिकाकर्ता लगभग 20 मिनट बाद वापस लौटी। जब वह ऊपर जा रही थी तो रास्ते में उसकी मृतक से मुलाकात हुई। याचिकाकर्ता ने मृतक पर अंग्रेजी में चिल्लाया। मृतक घर से बाहर चला गया। जब युविका घर के गेट पर पहुंचीं तो युविका ने अपने पिता को फोन किया। मृतक जो थका हुआ था और सीधे नहीं चल सकता था, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। युविका ने फिर अपने भाई को चिल्लाया कि मृतक जा रहा है। सुमनजीत दौड़ते हुए नीचे आया और उसके पीछे सैंडी भी थी। दोनों लड़के मृतक का पीछा किया और लगभग 10 मिनट में उसकी बांहें पकड़कर उसे वापस ले आया। मृतक को घर के अंदर ले

जाया गया। जब वह सोफे के पास पहुंचा तो याचिकाकर्ता ने अपने हाथों से मृतक की गर्दन पकड़ ली और उसे जोर से दबाया। वह बहुत गुस्से में थी और चिल्लाया "मारो मारो मारो"। दोनों लड़कों ने मृतक को गिरने से बचाने के लिए उसके हाथ पकड़ लिए। आवेदिका द्वारा उसकी गर्दन को अपने हाथों से दबाने पर मृतक कालीन पर गिर गया। दर्शन लाल एक गिलास पानी लेकर आया और चम्मच की सहायता से मृतक के मुँह में थोड़ा पानी डाला। मृतक के गले से पानी नीचे नहीं उतर रहा था. लड़कों ने मृतक के जूते उतारे और उसके पैर रगड़े। याचिकाकर्ता ने अपनी पतलून ढीली कर दी। उसने उसकी नाड़ी महसूस की और परीक्षण किया कि क्या वह सांस ले रहा है। कुछ गंभीर घटित होने का आभास होने पर सभी असमंजस में पड़ गए। युविका रोने लगी। याचिकाकर्ता ने उसे सीढ़ियों से ऊपर जाने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने दर्शन लाल को शव को झील में फेंकने में मदद करने का सुझाव दिया, जिससे अपराध में सभी की संलिप्तता से बचा जा सके। सुमनजीत कार लेकर आया और उसकी डिकी खोली। शव को उठाकर कार की डिकी में रखा गया। याचिकाकर्ता, दो लड़के और दर्शन लाल द्वारा शव को झील पर लाया गया। शव को तालाब में फेंक दिया गया ।

2. यह 12 और 13 जुलाई, 1983 की मध्यरात्रि के दौरान श्री जेएस आनंद की मृत्यु से संबंधित घटना का जेएस संस्करण है, जिसे दर्शन लाल ने सितंबर में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत श्री केसी लोहिया, मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए अपने बयान में दिया था। 1, 1983. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ द्वारा दर्शन लाल को धारा 306, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत क्षमादान दिया गया था - आदेश दिनांक 19 सितंबर, 1983 (पी. 1)।
   आदेश का प्रासंगिक भाग पढ़ता है:
   "जबकि सीबीआई ने अनुरोध किया है कि आरोपी दर्शन लाल, पुत्र क्रिस्टियन राम, निवासी गांव बरनाला कलां, नवांशहर, जिला जुलुंदुर को मामले संख्या आरसी 4/83 यू, II, सीबीआई, एसपीई, नई दिल्ली में क्षमादान दिया जा सकता है। धारा 306 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत.

   जबकि मैंने मामले के तथ्यों को सुना है जिसमें आरोपी दर्शन लाल के अलावा, कुछ और व्यक्ति श्री जेएस आनंद, डी.आई.जी., बी.एस.एफ., जोधपुर की केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के अधिकार क्षेत्र के भीतर की गई हत्या के मामले में शामिल हैं।

और, जबकि यह माना जाता है कि मामले में प्रत्यक्ष सबूत सामने नहीं आ सकते हैं क्योंकि कथित हत्या रात के अंधेरे में एक बंद दरवाजे वाले घर में हुई थी और न्याय के हित के लिए आवश्यक है कि आरोपियों में से एक को सरकारी गवाह बनाया जाए।

और जबकि मेरी राय में, उपरोक्त उल्लिखित आरोपी दर्शन लाल उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति प्रतीत होता है और स्वेच्छा से क्षमा स्वीकार करने की पेशकश करता है।

और जबकि धारा 306 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन 16 सितंबर, 1983 को दायर किया गया था, जिसका नोटिस अभियुक्त को 17 सितंबर, 1983 को दिया गया था, जब वह उपस्थित हुआ था और उससे सी.बी.आई. द्वारा किए गए अनुरोध पर अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया गया था।

वहीं, आरोपी ने सरकारी गवाह बनने के लिए उसी दिन अपना जवाब दाखिल कर दिया।

और जबकि मामला 19 सितंबर, 1983 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, और सुबह 10.10 बजे लिया गया था और आरोपी को दोपहर 1.45 बजे तक अदालत के कक्ष में बैठाया गया था और मेरे द्वारा आरोपी से पूछे गए प्रश्न और उसके उत्तर और धारा 164, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत बयान, श्री केसी लोहिया द्वारा दर्ज किया गया, मैं संतुष्ट हूं कि आरोपी दर्शन लाल अपराध के कमीशन से चिंतित था और उसका साक्ष्य महत्वपूर्ण है और जबकि दर्शन लाई का साक्ष्य कड़ियों को उजागर करने के लिए और मामले की सच्चाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और

जबकि मुझे इस बात की संतुष्टि है कि उनके दिमाग पर किसी भी तरह का कोई दबाव या प्रभाव नहीं पड़ रहा है.

इसलिए, मैं बाबू राम गुप्ता, एच.सी.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़, धारा 306 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, भारतीय धारा 302/201 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उक्त आरोपी दर्शन लाल को क्षमा करता हूं। दंड संहिता इस शर्त पर कि वह सभी परिस्थितियों और उससे जुड़े अन्य अपराधों का पूर्ण और सच्चा खुलासा करे, चाहे वह प्रिंसिपल के रूप में हो या उसके कमीशन में दुष्प्रेरक के रूप में।

3. याचिकाकर्ता और उसके दो सह-अभियुक्तों सुमनजीत और सैंडी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक याचिका दायर की जिसमें प्रार्थना की गई कि 19 सितंबर, 1983 (पी1) के आदेश जिसमें दर्शन लाल को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के तहत सरकारी गवाह के रूप में क्षमादान दिया गया था, को रद्द किया जाए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चंडीगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 28 अप्रैल 1984 (पी2) द्वारा आवेदन को प्राथमिक रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि पहले से पारित आदेश की समीक्षा नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता ने वर्तमान में आदेश पी1 और पी2 पर आपत्ति जताई है और धारा 482, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत याचिका दायर की गई।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के संदर्भ में दर्शन लाल को अनुमोदक के रूप में क्षमा देने का कोई मामला नहीं बनता है, जिसके परिणामस्वरूप लागू आदेश पी 1 को रद्द किया जा सकता है।

धारा 306, दंड प्रक्रिया संहिता का प्रासंगिक भाग पढ़ता है:

“306. साथी को क्षमादान की निविदा-

किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, जिसके बारे में यह धारा लागू होती है कि वह किसी ऐसे अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है या उसकी जानकारी रखता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जांच या पूछताछ के किसी भी चरण में या, अपराध का परीक्षण, और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट जांच या परीक्षण के किसी भी चरण में अपराध की जांच या कोशिश कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को पूर्ण और सच्चा खुलासा करने की शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकते हैं। अपराध के संबंध में उसकी जानकारी में मौजूद सभी परिस्थितियाँ और उसके कार्यान्वयन में संबंधित प्रत्येक अन्य व्यक्ति, चाहे वह मुख्य व्यक्ति हो या दुष्प्रेरक।

(2) यह धारा लागू होती है-

(ए) विशेष रूप से सत्र न्यायालय या आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1952 (1952 का 46) के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई भी अपराध;
(बी) कारावास से दंडनीय कोई भी अपराध जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है या इससे अधिक गंभीर सजा हो सकती है।
(3) प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो उप-धारा (1) के तहत क्षमादान करता है, वह रिकॉर्ड करेगा-
(ए) ऐसा करने के उसके कारण;
(बी) क्या निविदा उस व्यक्ति द्वारा स्वीकार की गई थी या नहीं, जिसे इसे बनाया गया था और आरोपी द्वारा किए गए आवेदन पर, उसे ऐसे रिकॉर्ड की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
(4) उप-धारा (1) के तहत क्षमादान की निविदा स्वीकार करने वाला प्रत्येक व्यक्ति -
(ए) बाद के मुकदमे, यदि कोई हो, में अपराध का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट की अदालत में एक गवाह के रूप में जांच की जाएगी;
(बी) ....
(5) जहां किसी व्यक्ति ने उप-धारा (1) के तहत की गई क्षमादान की निविदा स्वीकार कर ली है और उप-धारा (4) के तहत उसकी जांच की गई है, मजिस्ट्रेट उस अपराध का संज्ञान लेते हुए, मामले में कोई और जांच किए बिना –
(ए) इसे परीक्षण के लिए प्रतिबद्ध करें-
(i) सत्र न्यायालय को यदि अपराध विशेष रूप से उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है, या यदि संज्ञान लेने वाला मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है;

5. राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि दर्शन लाल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के साथ धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध का दोषी होने का आरोप है। उन्हें सात साल के कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। उनका मामला इसके अंतर्गत आता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 की उपधारा (2) और उसे उचित ही अनुमोदक के रूप में क्षमादान दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क यह है कि परिस्थितियाँ इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचती हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के

तहत अपराध मृतक की मृत्यु के परिणामस्वरूप किया गया है और इस तरह यह माना जाता है कि दर्शन लाल दोषी हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत अपराध के लिए उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा नहीं दी जा सकती। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क निराधार है।

धारा 201, भारतीय दंड संहिता पढ़ती है:

"201. अपराध के सबूतों को गायब करना, या अपराधी को गलत जानकारी देना, जो कोई यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि अपराध किया गया है, अपराधी को छिपाने के इरादे से, अपराध के सबूतों को गायब कर देता है। कानूनी सज़ा, या उस इरादे से उस अपराध के संबंध में कोई जानकारी देता है जिसके बारे में वह जानता है या मानता है कि वह झूठ है,

यदि मृत्युदंड वाला अपराध - यदि वह अपराध जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करता है कि किया गया है, मृत्युदंड से दंडनीय है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ाई जा सकती है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

6. मृतक पर आरोप है कि 12 और 13 जुलाई, 1983 की दरमियानी रात को उसकी हिंसक मौत हो गई। सीआरपीसी की धारा 306 के तहत क्षमादान के चरण में सूक्ष्मता से जांच करना और यह निर्धारित करना न तो संभव है और न ही उचित है कि मामला इस धारा के अंतर्गत आता है। 304 या धारा 304ए, भारतीय दंड संहिता और धारा 302, भारतीय दंड संहिता द्वारा नहीं। **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम चीमलपति गणेश्वर राव और अन्य A.I.R. 1963 S.C. 1850** में यह माना गया है कि क्षमा की वैधता को संदर्भ के साथ निर्धारित किया जाना है। केवल अनुमोदक के विरुद्ध आरोपित अपराध, न कि उस अपराध या अपराध के संदर्भ में जिसके लिए उसके सहयोगियों को अंततः दोषी ठहराया गया था। उनके आधिपत्य की टिप्पणियाँ तत्काल मामले में बिल्कुल लागू होती हैं। दर्शन लाल के खिलाफ आरोप यह है कि उसने मृतक की हत्या के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 201, धारा 302 के साथ पढ़ा जाने वाला अपराध किया है। इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता और/या उसके सह-अभियुक्तों को अंततः भारतीय दंड संहिता की धारा 304 या 304-ए के तहत दोषी ठहराया गया (या बरी भी कर दिया गया), धारा 306(2), आपराधिक प्रक्रिया के संदर्भ में दर्शन लाल को क्षमादान दिया गया।

कोड; वैध माना जाएगा क्योंकि उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के साथ पठित धारा 201 के तहत अपराध करने का आरोप है।

7. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जैसा कि धारा 306 (3), आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान किया गया है, वह दर्शन लाल को क्षमादान दे रहा था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 306 (3), क्रिमिहाल प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में, आक्षेपित आदेश पी.1 में कोई कारण दर्ज नहीं किया और इसलिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए। यह विवाद भी बलहीन है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित आदेश पी1 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 306(3) के संदर्भ में कारण बताए हैं, और इसलिए, इस आधार पर उसे बुरा नहीं ठहराया जा सकता है।

8. राज्य के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि वर्तमान याचिका इस कारण से विचारणीय नहीं है कि विवादित आदेश पी1 प्रकृति में अंतर्वर्ती होने के कारण उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 में दिए गए संशोधन में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क यह है कि भले ही विवादित आदेश पी1 अंतर्वर्ती हो और धारा 397(2), आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत पुनरीक्षण योग्य न हो, इस न्यायालय द्वारा धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करके इसमें हस्तक्षेप किया जा सकता है। न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्य को सुरक्षित करने के लिए।

9. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, आक्षेपित आदेश पी1 को वैध माना गया है। यह मानना कठिन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के तहत दर्शन लाल को क्षमादान देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसलिए, धारा 482, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत शक्तियों का प्रयोग करके इसे रद्द नहीं किया जा सकता है।

10. परिणामस्वरूप, याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आशीष कुमार मंडल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
फिरोज़पुर झिरका, नूंह